क्रम-संख्या--2075

रजि० नं० एल० डब्लू./एन. पी. 5[illegible]

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 4 नवम्बर, 1989

कार्तिक 13, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2118/सत्रह–वि–1–1 (क) 29-1989

लखनऊ, दिनांक : 2 नवम्बर 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 28 अक्टूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 11 मई, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

अधिनियम संख्या 16 सन् 1908 में नयी धारा 32—क का बढ़ाया जाना

2—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित दस्तावेजों की सही फोटोस्टेट प्रतियों का दिया जाना

"32—क (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे क्षेत्रों में जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें, हर दस्तावेज या दस्तावेज की धारा 19 में निर्दिष्ट किसी अनुवाद के साथ, जिसे रजिस्ट्रीकरण के लिये उपस्थापित किया जाय, उसकी उतनी सही फोटोस्टेट प्रतियां होंगी जितनी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित की जायं ।

(2) (क) फोटो स्टेट प्रति स्वच्छ और सुपाठ्य होगी और ऐसे प्रकार के कागज पर तैयार की जायगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय ;

(ख) फोटो स्टेट प्रति में ऐसी रीति से जैसी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाय, यह घोषणा होगी कि यह रजिस्ट्री किये जाने वाले दस्तावेज की एक सही प्रति है ;

(ग) फोटो स्टेट प्रति का मिलान और सत्यापन ऐसे पदधारी द्वारा किया जायगा जैसा रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर द्वारा निदेश दिया जाय ;

(घ) फोटो स्टेट प्रति की अलग-अलग जिल्दबन्दी की जायगी और उसे ऐसी रीति से जैसी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाय, स्थायी रूप से रखा जायगा ।

(3) जहां इस धारा के उपबन्ध लागू होते हैं, वहां नीचे उल्लिखित धारायें निम्न प्रकार से उपान्तरित समझी जायेंगी :—

(क) धारा 52 में, उपधारा (1) में—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "ऐसे हर दस्तावेज" के पश्चात् शब्द "और उसके साथ उसकी फोटो स्टेट प्रति" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ग) धारा 62 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, हर फोटो स्टेट प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण किये गये दस्तावेज से अनावश्यक विलम्ब के बिना, सत्यापित की जायगी और उसे रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण किये गये दस्तावेज के वास्ते विनियोजित पुस्तक में उसके ग्रहण के क्रमानुसार उसकी नकल के लिये समुचित पुस्तक में रखा जायगा ।"

(ख) धारा 60 म, उपधारा (1) में, शब्द "उस पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सहित, जिसमें उस दस्तावेज की नकल की गई है, के स्थान पर शब्द "फोटोस्टेट प्रति की क्रम-संख्या के निर्देश और उस पुस्तक के संख्यांक के सहित, जिसमें वह रखी गयी है", रख दिये जायेंगे ;

(ग) धारा 69 में, खण्ड (जज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(जज—1) उतनी संख्या का जितनी और उस रीति का जिसमें दस्तावेजों और धारा 19 के अधीन अनुवादों की फोटोस्टेट प्रतियां तैयार की जायेंगी और पुस्तकें जिनमें उन्हें अभिलेख के लिये रखा जायगा, विनियमित करने वाले,

(जज—2) धारा 32—क की उपधारा (2) के अधीन घोषणा का प्रारूप और अभिलेखों को रखने की रीति विनियमित करने वाले ;

उत्तर-प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1989

3-(1) रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 2118 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 29-1989

Lucknow : Dated : November 2, 1989

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Registrikaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 28, 1989.

THE REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1989

(U. P. Act. No. 29 of 1989)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Registration Act, 1908 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Registration (Uttar Pradesh) Amendment) Act, 1989. Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on May 11, 1989.

2. *After* section 32 of the Registration Act, 1908, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely— Insertion of new section 32-A in Act no. 16 of 1908

"32-A. Giving of true Photostat copies of documents presented for registration (1) Notwithstanding anything contained in this Act, in such areas as may be notified by the State Government, every document or any translation of documents referred to in section 19 presented for registration shall be accompanied by such number of true photostat copies thereof, as may be prescribed by rules under section 69.

(2) The photostat copy shall,—

(a) be neat and legible prepared on paper of such specification as may be notified by the State Government from time to time ;

(b) contain a declaraiton that the same is a true copy of the document to be registered in such manner as may be prescribed by rules under section 69 ;

(c) be compared and verified by such official as may be directed by the registering officer ;

(d) be separately bound and permanently kept in such manner as may be prescribed by rules under section 69.

(3) Where the provisions of this section apply, the sections mentioned below shall be deemed to be modified as follows :

(a) in section 52, in sub-section (1),–

(i) in clause (a), *after* the words "every such document" the words "alongwith the photo stat copy thereof" shall be *inserted*;

(ii) *for* clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely–

"(c) subject to the provisions contained in section 62, every photostat copy shall, without unnecessary delay be verified from the document admitted to registration and be placed in the proper book for being copied in the book appropriate for the document admitted to rgistration according to the order of its admission";

(b) in section 60, in sub-section (1), *for* the words "together with the number and page of the book in which the document has been copied" the words "together with a reference to the serial number of the photostat copy and the number of the book in which it is placed" shall be *substituted*;

(c) in section 69, *after* clause (*hh*), the following clauses shall be *inserted*, namely–

"(hh-1) regulating the number and manner in which photostat copies of documents and of translation under section 19 shall be prepared and the books in which they shall be placed for record;

(hh-2) regulating the form of declaration and the manner of keeping the records under sub-section (2) of section 32-A".

Repeal and Savings.

3. (1) The Registration (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1989, is hereby repealed. U.P. Ordinance No. 7 of 1989.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.